कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com   Phone/Fax-2767611

पत्रांकः– 992 /FP/UK/ROAD/29385/2017 दिनॉकःदेहरादून 01 ~~सितम्बर~~ अक्तूबर, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में देवाल मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.288 हे0 वन भूमि हस्तानान्तरण के सम्बन्ध में
(ऑनलाइन प्रपोजल नं0– **FP/UK/ROAD/29385/2017)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के **EDS** दिनांक 25–06–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 25–06–2020** के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No. 10, comments of DFO have still not been made at para-6 in his SIR. State Government may submit the Site Inspection Report after ensuring that the comments against each para have been made.	DFO has mentioned that the revised SIR has been uploaded in Form A, Part-II at Para-9 as an additional information.
2	On perusal of Kml file, it appears that the college has already been connected from other side. State Govt. may examine the proposal and submit the proposal accordingly. The requirement of additional road not seem to be justified.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि देवाल मुन्दोली मोटर मार्ग से रा0इ0का0 मुन्दोली तक पूर्व में जिला पंचायत चमोली द्वारा 06 फुट चौड़ाई में पैदल रास्ता निर्मित है। वर्तमान में मोटर मार्ग निर्माण हेतु कोई अन्य वैकल्पिक समरेखण उपलबध नहीं है। इस पैदल रास्ते को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने हेतु जिला योजना में स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः उक्त पैदल रास्ते को मोटर मार्ग में परिवर्तन करने हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किये गये हैं। इस मार्ग के सुधारीकरण से भविष्य में रा0इ0का0 मुन्दोली में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं अध्यापक एवं स्थानीय ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। साथ ही निकट भविष्य में विद्यालय के भवन निर्माण की लागत पैदल दूरी कम होने से कमी आयेगी। वर्तमान में गूगल में जो मार्ग प्रदर्शित हो रहा है वह पैदल रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण मोटर मार्ग प्रतीत हो रहा है। अतः मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
30/9/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

o/c